फर्द अहकाम

[illegible] बनाम [illegible]

न्यायालय [illegible]

संख्या 84/2023

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	30/4/24	पत्रावली पेश हुई। वकील [illegible] पक्ष उप. [illegible] वकालतनामा भी पेश नहीं किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी वकालतनामा हेतु न्यायहित में एक मौका [illegible] दिया जाकर पत्रावली दिनांक 21/5/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	
	21/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील [illegible] पक्ष उप. वकील अप्रार्थी ने वकालतनामा पेश किया। [illegible] किया गया। [illegible] के न आने से पत्रावली दिनांक 23/5/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
	23/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली बहस हेतु दिनांक 11/6/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	
	28/5/24	पत्रावली में वकील उभय पक्ष द्वारा शीघ्र सुनवाई बाबत पेश करने पर पत्रावली आज तलब की गई। वकील उभय पक्षों को शीघ्र सुनवाई बाबत पर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील उभय पक्षों ने	

...verified in all respects and the
...may be sent to this offi...

फर्द अहकाम

तोनीराम वगै० बनाम सरकार वगै०

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

केस संख्या 84/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		पत्रावली में आदेश श्रवण करने को नियत किया। पत्रावली के शोध अप्रार्थीगण को तलबी रजि० डाक से करवाने के बावजूद भी आज दिनांक तक न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए अतः अप्रार्थी 1० 3, 5 व 9 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील उभय पक्ष की बहस प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 एल.आर. एक्ट सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 एल.आर. एक्ट को स्वीकार किया जाता है तथा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज खुले इजलास में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.
84 / 2023

तारीख दायर
02 / 06 / 2023

तारीख फैसला
28.05.2024

1. सोनीराम पुत्र मोतीराम
2. जगदीश पुत्र घासी
3. कल्याण पुत्र घासी
4. नेहना पत्नि मोती
5. प्रभू पुत्र मोती
6. रामनाथ पुत्र मोती

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम खरड, तहसील आंधी, जिला जयपुर राजस्थान।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार आंधी, तहसील आंधी, जिला जयपुर राजस्थान ।
2. चन्दाराम पुत्र धन्नाराम मीणा
3. रामनाथ पुत्र प्रभात्या मीणा
4. प्रभूदयाल पुत्र भूरा मीणा
5. रामधन पुत्र सोनीराम मीणा
6. रामफूल पुत्र रूघनाथ मीणा
7. छोटेलाल पुत्र नाथू जोगी
8. किशनलाल पुत्र गोपी धानका
9. चन्दा पुत्र भैरू धानका

समस्त निवासी ग्राम खरड, तहसील आंधी, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक

श्री किशनलाल – वकील प्रार्थीगण।
श्री रामजीलाल मीना – अप्रार्थी सं0 2 व 4

प्रार्थनापत्र बाबत् नक्शा दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 131,132,136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट

–:निर्णय :–

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थनापत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण नक्शा दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 131,132,136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत् पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के हाल खसरा नम्बर 21 रकबा 1.6800है0 जिसके गत साबिक खसरा नम्बर 12 स्थित है जो ग्राम खरड पटवार हल्का भावनी तहसील आंधी जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थीगण की पुस्तेनी पैतृक खातेदारी भूमि चली आ रही है। जिस पर प्रार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से काबिज होकर काश्त करते आ रहे है तथा वर्तमान में भी खेती कर अपना व अपने परिवारजन का पालन पोषण करते आ रहे है। हाल सेटलमेंट से पूर्व नक्शें अनुसार व गत खसरा नम्बर 12 के अनुसार प्रार्थीगण मौके पर काश्त कर रहे है। तथा वर्तमान मे भी अपनी भूमि मे सरसों की फसल बोई थी जिसको काट लिया गया है तथा काश्त कर रहे है लेकिन हाल सेटलमेंट के बाद बने हाल नवीन नक्शा खसरा नम्बर 21 में प्रार्थीगण की भूमि को उसके कब्जे काश्त के विपरीत जाकर हाल नवीन नक्शा कायम किया गया है जो प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व पूर्व नक्शें के विपरीत जाते हुये कायम किया

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

गया है। जिससे मौके पर विवाद उत्पन्न हो रहा है। और मौके पर प्रार्थीगण अपनी भूमि की नापझोक करवाते है तो नवीन नक्शें के अनुसार प्रार्थीगण की भूमि कम पडती है जबकि जमाबन्दी में रकबा पूर्व राजस्व रिकार्ड अनुसार दर्ज है। प्रार्थीगण ने जब अपनी भूमि की नापझोक करवाई तो मौके पर प्रार्थीगण की भूमि नवीन नक्शें के आधार पर कम पडती है और प्रतिवादी सं0 2 ता 9 की भूमि नवीन नक्शे अनुसार अधिक है जबकि पूर्व नक्शें अनुसार आज भी प्रार्थीगण मौके पर काबिज काश्त है जबकि सेटलमेंट कर्मचारियों ने जो हाल नवीन नक्शा बनाया है वह बिना मौके पर जॉच किये ही बनाया गया है जा दुरूस्तनीय है। अतः वर्तमान खसरा नम्बर 21 के नवीन नक्शें को दुरूस्त कर हाल सेटलमेंट पूर्व नक्शा खसरा नम्बर 12 के अनुसा किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थीगण संख्या 2 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री रामजीलाल मीना ने वकालतनामा प्रस्तुत कर उपस्थित हुए तथा दिनांक 21.05.23 को जवाब पेश किया। जो शामिल पत्रावली है। वकील अप्रार्थी ने जवाब में निवेदन किया किया प्रार्थीगणों द्वारा झुठे एवं मनगठन्त तथा काल्पनिक तथा अप्रार्थीगणों के राजस्व कार्मो को अटकाने के उदेश्य से किया गया प्रार्थना पत्र को इसी स्टेज पर खारिज फरमाने के आदेश प्रदान करें ताकि अप्रार्थीगणों को माननीय न्यायालय से जो पत्थरगढी के आदेश किये गये है उनकी समस्या का समाधान हो सके। अप्रार्थी सं0 1 (पेरोकार सरकार तहसीलदार) ने उपस्थित होकर अपने पत्र क्रमांक/ आर..टी./2023/724 दिनांक 16.08.23 द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया गया कि ग्राम खरड के हाल खसरा नम्बर 21 रकबा 1.68है0, जिसके साबिक खसरा नम्बर 12 प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। हाल सेटलमेंट नक्शें व लट्ठा नक्शें का मिलान करने पर पाया कि नवीन नक्शें में उक्त खसरा नम्बर के दक्षिण पूर्वी भाग में जो घुम(मोड) को सीधा कर दिया गया जो कि गलत हैं उक्त नक्शा मे अन्तर है। शेष अप्रार्थीगणो को बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नही। अतः शेष अप्रार्थीगण सं0 3, 5 लगायत 9 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकील उभयपक्षों की बहस सुनी गई। वकील उभयपक्षो की बहस सुनने व पैराकार सरकार के जवाब एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर हम प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132,136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट को स्वीकार करना उचित समझते है ।

अतः प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132,136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट को स्वीकार किया जाकर मुताबिक रिपोर्ट के अनुसार वादग्रस्त भूमि ग्राम खरड, पटवार मण्डल भावनी, तहसील आंधी में स्थित भूमि खसरा नम्बर 21 रकबा 1.68है0 के नवीन नक्शें को सेटलमेंट पूर्व नक्शें अनुसार नक्शा दुरूरस्त करने के आदेश तहसीलदार आंधी को दिये जाते है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार आंधी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफतर हो

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 28.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़